

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 89/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1. खाना पिता धन्ना कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
2. मेरू पिता बालू कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
3. माधू पिता धन्ना कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उ. उ. भार भागीरथ नारायण पिता नन्दा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
4. महादेव बालू राधाकिशन गोपाल पिता लादू जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति - श्री दुर्गालाल राजोरा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: निर्णय ::--

दिनांक- 12/01/21

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 681 रकबा 1.12 है0, 684 रकबा 0.04 है0, 685 रकबा 0.35 है0, 714 रकबा 0.38 है0 कुल कित्ता 4 रकबा 1.89 है0 हैक्टियर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के बीच आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण का पत्र सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर वहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनाया। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मिण्डोलिया संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज हाफस प्रमाण आराजीयान की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माजा मिण्डोलिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 4 रकबा 1.89 है0 हैक्टियर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौक पर अन्तर्गत विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करता है। पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 400/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौक पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर रकबा से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शोध भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.